

ऊरी
14/3/2017

संख्या:- 79/02/XXVII(10)/2017

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार, पेंशन एवं हकदारी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग-10

देहरादून : दिनांक : 14 मार्च, 2017

विषय:- 09 नवम्बर, 2000 से पूर्व के पेंशनरों को सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित/संशोधित पेंशन का लाभ दिये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कोषागारों/पेंशनर संगठनों/व्यक्तिगत प्रत्यावेदनों द्वारा यह जिज्ञासा की गई है कि उत्तराखण्ड शासन द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लिये गये पेंशन पुनरीक्षण के निर्णय 09 नवम्बर, 2000 के पूर्व के पेंशनरों पर लागू होंगे अथवा नहीं, के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि 09 नवम्बर, 2000 के पूर्व के ऐसे सभी पेंशनर जिनकी पेंशन का पुनरीक्षण छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुरूप उत्तराखण्ड सरकार द्वारा पूर्व में किया गया है, की पेंशन का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2016 से उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या:-267/45/XXVII(10)/2016 दिनांक 30.12.2016 के क्रम में किया जाये।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त

dc

संख्या:- /02/XXVII(10)/2017 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल0एन0 पन्त)
अपर सचिव

dc

Lat
09-03-17